संख्या- 28/2024/86/छप्पन-2024-56-1099/397/2019

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 06 मार्च, 2024

विषय: जेवर क्षेत्र में निर्माणाधीन नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट से प्रभावित होने वाले वन्य जीवों हेतु एक अस्थायी Animal Rescue and Rehabilitation Centre के निर्माण एवं 05 वर्षों तक संचालन किए जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 128/ए0एफ0-2023-116/2016 दिनांक 17 अगस्त, 2023 तथा पत्रांक 194/ए0एफ0-2023-116/2016 दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जेवर क्षेत्र में निर्माणाधीन नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट से प्रभावित होने वाले वन्य जीवों हेतु एक अस्थायी Animal Rescue and Rehabilitation Centre के निर्माण एवं 05 वर्षों तक संचालन किए जाने हेतु कुल लागत रू0 5,39,27,000/- (रूपए पाँच करोड़ उन्तालिस लाख सत्ताइस हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए NIAL में राज्य सरकार की 37.5% अंशधारिता की धनराशि रू0 2,02,22,625/- (रूपए दो करोड़ दो लाख बाइस हजार छ: सौ पच्चीस मात्र) की वित्तीय/व्यय की स्वीकृति जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन हेतु जारी करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट से प्रभावित होने वाले वन्य जीवों हेतु एक अस्थायी Animal Rescue and Rehabilitation Centre के निर्माण एवं 05 वर्षों तक संचालन किए जाने हेतु कुल लागत रू0 5,39,27,000/- (रूपए पाँच करोड़ उनतालीस लाख सत्ताइस हजार मात्र) पर अनुमोदन प्रदान करते हुए NIAL में राज्य सरकार की 37.5% अंशधारिता की धनराशि रू0 2,02,22,625/- (रूपए दो करोड़ दो लाख बाइस हजार छ: सौ पच्चीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अर्थात् रू0 2,02,22,625/- (रूपए दो करोड़ दो लाख बाइस हजार छ: सौ पच्चीस मात्र) वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में व्यय की अनुमति सहित जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(4) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट से प्रभावित होने वाले वन्य जीवों हेतु एक अस्थायी Animal Rescue and Rehabilitation Centre के निर्माण एवं 05 वर्षों तक संचालन किए जाने हेतु कुल लागत रू0 5,39,27,000/- (रूपए पाँच करोड़ उनतालीस लाख सत्ताइस हजार मात्र) में से NIAL के शेष अंशधारकों यथा- नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भी अपनी-अपनी अंशधारिता के अनुसार धनराशि जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 2,02,22,625/- (रूपए दो करोड़ दो लाख बाइस हजार छः सौ पच्चीस मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के निर्वतन पर रखी जाएगी। जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

4- अवमुक्त की जाने वाली धनराशि जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा NIAL के खाते में जमा कराई जाएगी एवं NIAL द्वारा प्रश्नगत धनराशि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 को उपलब्ध कराई जाएगी तथा इसका प्रमाण शासन को भी उपलब्ध कराया जाएगा।

5- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-38 के पूंजी लेखा "लेखाशीर्ष 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-21-जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य'' से वहन की जाएगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: E-7-574-X-2023-24 दिनांक 05 मार्च, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 28/2024/86(1)/छप्पन-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे सन्दर्भगत प्रकरण में वांछित धनराशि रू0 5,39,27,000/- (रूपए पाँच करोड़ उनतालीस लाख सत्ताइस हजार मात्र) में से NIAL में अपनी-अपनी अंशधारिता के अनुसार धनराशि जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

6- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

8- अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर।

9- विशेष कार्याधिकारी (श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया), नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0/नोडल अधिकारी, जेवर एयरपोर्ट, गौतमबुद्धनगर।

10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7.

11- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।